न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/306/2014

1. पूरसिंह पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी सालिमसिंह की ढाणी तहसील व जिला–सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. पालाराम पुत्र रूडाराम
2. मोतीराम पुत्र रूडाराम
3. बिहारीलाल पुत्र रूडाराम
4. प्यारेलाल पुत्र नानुराम
5. चतरसिंह पुत्र नानुराम
6. सोहनलाल पुत्र नानुराम
7. मनीदेवी बेवा नानुराम
8. पोखर पुत्र कानाराम
9. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

01. श्री भंवरलाल बिजारणियां, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री नरेन्द्र कुमार फगेडिया, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से

–आदेश:–

दिनांक– 12.03.2021

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमियां खसरा सं. 510 रकबा 2.03 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद में अवस्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनके अलावा ग्राम सालिमसिंह की ढाणी व बजाज ग्राम सांवली में पैतृक भूमियां अवस्थित है, जिनके विभाजन के वाद विचाराधीन है। उक्त भूमियों के अलावा संयुक्त पैतृक आराजी खसरा सं. 510 रकबा 2.03 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद है जिसके पुराने खसरा सं. 230/2 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा था, जो कि प्रार्थी के भाई रूडमल पुत्र कानाराम के नाम से दिनांक 07.08.1961 को क्रय की थी। जिसका विक्रय विलेख उपपंजीयक कार्यालय के यहां पंजीकृत की गई थी तथा दूजोद के अलावा इसी ग्राम में भूमि खसरा सं. 1510/509 रकबा 0.77 हेक्टेयर भी मौखिक रूप से क्रय की गई थी तथा इसके अलावा भूमि खसरा सं. 102/191, 104 व 162 अवस्थित है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज कानाराम के जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसकी उद्‌घोषणा का वाद भी बनवानी पालाराम बनाम बालिया विचाराधीन है। उक्त तीनों कृषि संपदाओं को जब वादी/प्रार्थी व उसके भाई वर्ष 1972 में अलग–अलग हुये तब इन सम्पदाओं का भी विभाजन कर लिया था। जिसके तहत प्रश्नगत आराजी खसरा सं. 510 रकबा 2.03 हेक्टेयर में से 13.50 बीघा कच्ची भूमि वादी के हिस्से में व 4.50 बीघा कच्ची भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के हिस्से में आई व भूमि खसरा सं. 1050/509 रकबा 0.77 हेक्टेयर अप्रार्थीगण सं. 4 ता 7 के हिस्से में व भूमि खसरा सं. 102/91, खसरा सं. 104

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा सं. 182 रकबा 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible] की आराजी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के हक हिस्से में आई जिस पर काबीज भी शांति पूर्वक तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार पक्षकार अपने–अपने हक हिस्से की भूमियों पर सिंचाई की सुविधा के अनुसार भूमिगत पाईप लाईनें, पानी की टंकियां तथा भूमियों को समतल कर खाद डालकर उपजाऊ बना रखी है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। इसलिए प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि में 13.50 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार उद्घोषित होने का अधिकारी है। यह कि रूड़ाराम की असमय पूर्व मृत्यु हो गई, जिसकी विरासत की खाता अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम से हो गया था, जिन्होंने राजी रजा से रिकॉर्ड आश्वासन दे रखा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 प्रार्थी को हैरान परेशान करने की गर्ज से कृषि भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर तथा भूमाफिया लोगों के बहकावे में आकर प्रार्थी को बलात बेदखल करने की कुचेष्टा में है। दिनांक 20.12.2012 को अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि भूमि को खाली कर दें अन्यथा खड़ी फसल को नष्ट कर दी जावेगी। यदि अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं होगी। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतया पुष्ट एवं प्रमाणित है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भूमियां खसरा सं. 510 रकबा 2.03 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील धोद में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने से बाज रहें व उक्त आराजियात का बेचान करने व अन्तरण करने से प्रतिबंधित रहें।"

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 9 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 4 ता 8 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र बुरड़क ने उपस्थित हुये, परन्तु जवाब पेश नही करने पर जवाबदेही बंद की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार फगेड़िया ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की मद सं. 1 गलत होने से अस्वीकार है। आवेदन की मद सं. 2 में उल्लेखित में गलत होने से अस्वीकार है। वास्तविक स्थिति यह है कि कृषि भूमि खसरा सं. 510 से प्रार्थी को कोई लेना देना नहीं रहा है और न ही अब है। आवेदन की मद सं. 3 में उल्लेखित कथन वादी/प्रार्थी व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 एक परिवार के सदस्य है, सही होने से स्वीकार है। शेष कथन अस्पष्ट होने से अस्वीकार है। वास्तविक स्थिति यह है कि न तो कोई संयुक्त पैतृक आराजी ग्राम दुजोद में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 510 रकबा 2.03 हेक्टेयर, जिसके पुराने खसरा सं. 230/2 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा था, की वादी के भाई रूड़ाराम के नाम से दिनांक 07.08.61 को क्रय किया था, न वादी का विवादित भूमि से कोई लेना–देना है। प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई लेना देना होता तो वह सन 1961 से आज तक जिसको विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड का प्रारम्भ से ज्ञान था तथा प्रार्थी स्वयं भी भूनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुआ था तथा प्रत्यर्थीगण के पिता रूड़ा के समय भी रिकॉर्ड दुरूस्त करवा सकता था, लेकिन अब प्रत्यर्थीगण के पिता द्वारा अर्जित धन से भूमि क्रय की होने से व उसकी मृत्यु उपरांत अब प्रत्यर्थीगण के हक हिस्से को हड़पने की नियत से कृषि भूमि खसरा सं. 510 को संयुक्त पैतृक भूमि को क्रय करना बता रही है, जबकि प्रार्थीगण छः भाई थे। प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है। यह कि आवेदन की मद सं. 4 में उल्लेखित कथन रूडमल की अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गयी, जिसकी मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम भरा गया सही होना स्वीकार है। शेष कथन गलत निराधार होने से अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने न तो किसी प्रकार का दुरूस्ती का आश्वासन दिया है और न ही प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई लेना देना है। प्रत्यर्थीगण की कृषि भूमि एक फसली बारानी है, जिससे प्रार्थी के वाद प्रस्तुतीकरण के समय दिसम्बर माह में विवादित भूमि पर किसी प्रकार की फसल नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। जवाबदाता जो मजदूरी करके अपना भरण–पोषण करते आ रहे है। प्रार्थी भूमि को हड़पने की नियत से यह आवेदन पेश किया है, जो कि गलत तथ्यों के आधार पर पेश करने पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

03. बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

04. हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी.आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि जवाबदाता/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के के पिता रूडाराम की मृत्यु होने पर प्राप्त हुई थी। इसलिए प्रार्थी का विवादित भूमि में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। उक्त स्थिति के आलोक में प्रार्थी का कोई हिस्सा बनता है या नहीं, इसका निर्णय दावे में सम्पूर्ण सुनवाई के पश्चात् किया जायेगा, लेकिन तथ्यों के अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थी का मामला भी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है।

(B) सुविधा का संतुलन– प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

(C) अपूरणीय क्षति– अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदार दर्ज है। इसलिए यदि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध इस स्टेज पर कोई टी.आई. जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.09 10:44:32 IST
Reason: SelfAttested